कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक प्रा0 मान्यता/ 11984-91 /2014-15 दिनाँक: 22.11.14

प्रबंधक,
श्रीमती नारायणी देवी सनातन धर्म विद्यालय,
तात्यागंज कानपुर नगर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानपुर मण्डल कानपुर के कार्यालय पत्राँक शि0स0/5414-15/2014-15 दिनाँक 10.11.2014 के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन मे शासनादेश सं0 418/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनाँक 8 मई 2013 मे निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक मे हिन्दी माध्यम से प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जाँच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक मे, जनपदीय मान्यता समिति कानपुर नगर की बैठक दिनाँक 15.11.2014 को लिए गए निर्णय के आधार पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)कानपुर मण्डल कानपुर के अनुमोदनोपरान्त मै, श्रीमती नारायणी देवी सनातन धर्म विद्यालय, तात्यायागंज कानपुर को शिक्षा सत्र 01.07.2015 से 30.06.2018 तक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा-1 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 के अधीन विर्निष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

क्रमशः2 पर

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

क्र0सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	26167 वर्गफुट
2	कुल निर्मित क्षेत्र	3120 वर्गफुट
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	23047 वर्गफुट
4	कक्षाओं की संख्या	5
5	प्रध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डारागार के लिये कक्ष	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	4/4
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल
8	बाधा रहित पहुँच	मुख्य मार्ग के निकट है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेल–कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

9–विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

10–विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकान्टेंट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रा0मा0–हिन्दी माध्यम–2014–15/19 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17–संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18– विद्यालय मे शिक्षण कार्य टी0ई0टी0उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाय। प्रबन्धाधिकारण द्वारा यदि कोई तथ्य गोपन किया जाना पाया गया तो विभागीय नियमो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0/प्राइ0मान्यता/ 11984-91 /2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक (बे0) उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
2– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) कानपुर मण्डल, कानपुर।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
5– अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
6– पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
7– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर क्षेत्र) कानपुर नगर।
8 - कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner